



जमाबंदी रद्द अभिलेख सं०-14/2016-17

दिनांक	आदेश फलक	अभ्युक्ति
19-5-17	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।</p> <p>मौजा-भेलाटाँड़, मौजा सं०-89 अंतर्गत गैर आबाद खाता सं०-95, प्लॉट सं०-767, रकवा-1.85 एकड़ गैर आबाद खाते से संबंधित भूमि पर कायम जमाबंदी सं०-507 को रद्द करने से संबंधी अनुशंसा अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर द्वारा की गई है।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद द्वारा विधिवत् नोटिश निर्गत कर अभिलेख की सुनवाई की गई है। उन्होंने अपने अभिमत में निम्न तथ्य अंकित किये हैं-</p> <p>प्रश्नगत भूमि कोयलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि हस्तांतरण किये जाने के दौरान विपक्षी द्वारा उपरोक्त भूखण्ड सरकार से बन्दोवस्त प्राप्त रहने का तथ्य एवं साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा गया कि भूमिहीन होने के आधार पर लगभग 28 वर्ष पूर्व इन्हें भूमि बन्दोवस्त किया गया था जिसका लगान जमाबंदी सं०-507 में भुगतान करते हुए विपक्षी भूमि पर दखलकार है एवं खेतीबाड़ी करते आ रहे हैं जो इनके जीवन निर्वाह का आधार है। साथ ही पुनरीक्षित खतियान का निर्माण भी अपने नाम किये जाने का उल्लेख कर जमाबंदी रद्द किये जाने को विपक्षी द्वारा नियम विरुद्ध बताया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 63A के तहत बन्दोवस्त प्राप्त भूमि के संबंध में जाँचोपरांत बन्दोवस्त भूमि पर पूर्णतः दखलकार नहीं रहने के उल्लेख सहित अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में विपक्षी के कागजात एवं पक्ष को सुनते हुए व्यापक जनहित में यह उचित एवं आवश्यक हो जाता है कि बन्दोवस्त प्राप्ति के बावजूद पाँच वर्षों के दौरान भूमि का उपयोग जोत आबाद के लिए नहीं किये जा सकने की वास्तविकता के आधार पर उक्त अधिनियम की धारा 63B के प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि की बन्दोवस्ती रद्द करते हुए उसे कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम बन्दोवस्त/हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की गई है।</p> <p>तदनुसार अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर, भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, धनबाद के मंतव्य से सहमत होते हुए मौजा-भेलाटाँड़, मौजा सं०-89 अंतर्गत गैर आबाद खाता सं०-95, प्लॉट सं०-767, रकवा-1.85 एकड़ गैर आबाद खाते से संबंधित भूमि पर कायम जमाबंदी सं०-507 को रद्द करने हेतु अधिनियम की धारा 63B के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि की अधिनियम के प्रावधानों के पालन में विफल बन्दोवस्त प्राप्तकर्ता की बन्दोवस्ती रद्द करते हुए उसे व्यापक जनहित में कोयलांचल विश्वविद्यालय के नाम भूमि हस्तानांतरण करने की अनुशंसा की जाती है।</p> <p>अभिलेख अनुमोदन हेतु उपायुक्त, धनबाद के न्यायालय में भेजे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p>	
	<p align="center">  अपर समाहर्ता, धनबाद। </p>	<p align="center">  अपर समाहर्ता, धनबाद। </p>